न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 07/21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 दायरा दिनांक 28.09.2021

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी बैटा तहसील शाहबाद, जिला–बारां।
2. शिवजी पुत्र देवीलाल जाति किराड निवासी बैहटा तहसील शाहबाद, जिला–बारां।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र खैरू जाति जाटव निवासी बैंटा तहसील शाहबाद, जिला बारां।
2. रमेश पुत्र खैरू जाति जाटव निवासी बैंटा तहसील शाहबाद, जिला बारां।
3. सुरेश पुत्र खैरू जाति जाटव निवासी बैंटा तहसील शाहबाद, जिला बारां।
4. गुडडी पुत्री खैरू पत्नि अर्जुन जाति जाटव निवासी खाण्डा सहरोल तहसील शाहबाद।
5. बती पुत्री खैरू पत्नि श्रीलाल जाति जाटव निवासी ऊनी तहसील, शाहबाद–बारां।
6. फूला वेबा खैरू जाति जाटव निवासी बैंटा तहसील शाहबाद जिला बारां राज.
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां 　　　　　　　**– अप्रार्थीगण**

उपस्थित

1. **श्री अरविन्द कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी।**
2. **श्री हेमराज नामदेव, अभिभाषक अप्रार्थी।**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन

निर्णय 　　　　　　　　　　**दिनांक 23.06.2022**

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

ग्राम बैंटा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 9.07 बीघा का अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 11.12.2004 विधि के सुस्थापित नियमों के विपरीत होने से सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आवंटन बाबत् नियमानुसार कोई सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की गई। आवंटन योग्य खाली भूमि की कोई सूची तैयार नहीं की गई। प्रार्थीगण अपने पिता के समय से अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति खैरू को आवंटित भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के पिता देवीलाल व प्रार्थीगण ने भूमि को झाड़कटी कर, नोतोडकर काबिल काश्त बनाया लगभग 30 वर्ष से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता देवीलाल बतौर अतिक्रमी काबिज काश्त है। अप्रार्थी क्रम 7 द्वारा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता के काबिज काश्त होने से अतिक्रमी मानकर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम के नोटिस भी दिये। प्रार्थीगण के पिता देवीलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में होने से आवंटन बाबत् खाली अनऑक्यूपाइड लैण्ड नहीं थी फिर भी नियमों के विपरीत ऑक्यूपाइड लैण्ड होने के बाबजूद अप्रार्थीक्रम 1 ता 6 को किया गया आवंटन सर्वथा अवैध, विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 पिता व 6 के [illegible] कपटपूर्ण व दुर्व्यवदेशन से किया गया है। अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति के आवेदन [illegible] पटवारी द्वारा अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति से मिली भगत कर अप्रार्थीक्रम [illegible] में भूमि होना दर्ज नहीं किया है। अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति [illegible] उसके [illegible] रित भूमि को आवंटन प्रार्थना पत्र में प्रकट नहीं कर कपटपूर्वक, दुर्व्यपदेशन से आवंटन आदेश प्राप्त किया [illegible] आवंटन आदेश नि[illegible] ये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 16:28:52 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति का आवंटन से पूर्व, वक्त आवंटन, आवंटन के पश्चात् आज दिनांक तक कभी कब्जा काश्त नहीं है। आवंटन के पश्चात् अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति ने कभी विधिवत् दखल प्राप्त नहीं किया। आवंटन के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा दखल प्राप्त कर काबिज काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति के पक्ष में किया आवंटन आदेश स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन आदेश की शर्तो की पालना नहीं होने के बावजूद, गैर खातेदारी, नामान्तरकरण में अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति के काबिज काश्त बाबत् कोई इन्द्राज नहीं होने के बावजूद सर्वथा अवैध रूप से स्वतः निरस्त आवंटन आदेश के आधार पर गैर खातेदारी अधिकार राजस्व केम्पों में मात्र लक्ष्य पूर्ति करने बाबत् अवैध रूप से दर्ज कर दिये गये। आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति के पक्ष किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जबाब में प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित तथ्य मिथ्या एवं मनगढन्त तथा आधारहीन होने से अस्वीकार है। ग्राम बैटा की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 9.07 बीघा का अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 11.12.2004 विधिवत नियमानुसार अनुसूचित जाति भूमिहीन के हक में होने से यथावत रखे जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 2 अस्वीकार है। आवंटन नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन नितान्त असत्य तथा आधारहीन है कि उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हो और उन्होनें काबिल काश्त बनाया हो। यदि उक्त भूमि पर 30 वर्षो से प्रार्थीगण का कब्जा होता तो वे उक्त भूमि को अपने हक में आवंटन कराने बाबत् आवेदन पत्र आवंटन कमेटी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करते, जबकि कोई आवेदन कभी भी प्रस्तुत नही किया गया है। मिथ्या तथ्यो के आधार पर यह कार्यवाही पेश की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है और उक्त आवंटन यथावत रखे जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 3 अस्वीकार है। प्रश्नगत आवंटन विधिवत एवं नियमानुसार बाद जांच अप्रार्थीगण के पिता/पति अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्ति के हक में किया गया है। इस कारण आवंटन यथावत रखे जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र क्रम 4 अस्वीकार है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति खैरू जाटव जो अनुसूचित जाति के भूमिहीन थे, के हक में नियमानुसार उक्त आवंटन किया गया है। आवंटन आदेश की पालना में उक्त भूमि पर आवंटी खैरू को नियमानुसार कब्जा तथा दखल दिया गया है और आवंटन शर्तो की पालना अनुक्रम में विधिवत गैरखातेदारी तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। उक्त भूमि दिनांक 26.05.2000 को विधिवत आवंटन सलाहकार समिति मुकाम बैंटा द्वारा अप्रार्थी भूमिहीन के हक में नियमानुसार आवंटन की जाकर दखल व कब्जा संभलाया गया है तथा आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में गैरखातेदारी तदुपरान्त खातेदारी प्रदान की गई। आवंटन शर्तो की पूर्णतः पालना की गई है, इस कारण उक्त आवंटन यथावत रखे जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र की चरण क्रम 5 अस्वीकार है। आवंटन आदेश दिनांक 11.12.2004 का है। आवंटन शर्तो की पालना में विधिवत खातेदारी प्राप्त हो चुकी है, जिसे 17 वर्ष हो चुके है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

<u>विशेष आपत्तियां :-</u>

आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 9.07 बीघा ग्राम बैंटा दिनांक 11.12.2004 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत आवंटन नियमानुसार अप्रार्थीक्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति खैरू के हक में आवंटन की गई है, हल्का पटवारी द्वारा दखल तथा कब्जा संभलाया गया है, जिस पर अप्रार्थीक्रम 1 को आवंटन शर्तो की पालना के अनुक्रम में गैर खातेदारी तदुपरान्त खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज हो काश्त करते हुये अप्रार्थीक्रम 1 को 17 वर्ष हो चुके हैं, इस कारण उक्त आवंटन यथावत रखे जाने योग्य है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई विधिक अधिकार तथा लोकस स्टैण्डाई प्राप्त नहीं है, इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता व 6 के पति खैरू जाटव जो अनुसूचित जाति के भूमिहीन के हक में नियमानुसार उक्त आवंटन किया गया [illegible] में उक्त भूमि पर आवंटी खैरू को नियमानुसार कब्जा तथा दखल दिया गया है और आवं[illegible] पालना में विधिवत गैरखातेदारी तथा बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं [illegible] कोई कब्जा काश्त नही रहा है। अपितु उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने वर्ष 2018 में विवाद कर [illegible] अवैध कब्जा कर लिया है। विवाद होने पर अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.06.2018 को [illegible] पैमाइश भी करा ली है। प्रार्थीगण के कब्जा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 16:28:52 IST
Reason: SelfAttested

छोडने पर अप्रार्थीगण ने विरूद्ध प्रार्थीगण एक आपराधिक प्रकरण संख्या 142/20 धारा 447, 427, 504 व धारा 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट का थाना शाहबाद में दर्ज कराया है, जिसमें प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है, जो जैरकार है और प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट. की कार्यवाही प्रकरण संख्या 177/21 में तहसीलदार शाहबाद ने निर्णय दिनांक 27.01.2022 से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया है। जिनसे बचने के लिए प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। प्रार्थीगण के पिता देवीलाल व प्रार्थीगण ने भूमि को झाड़कटी कर, नोतोडकर काबिल काश्त बनाया लगभग 30 वर्ष से प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता देवीलाल बतौर अतिक्रमी काबिज काश्त है। अप्रार्थी क्रम 7 द्वारा प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पिता के काबिज काश्त होने से अतिक्रमी मानकर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम के नोटिस भी दिये। सिलिंग सिवायचक भूमि थी राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कहा आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा है। सदैव से अपीलान्ट का कब्जा रहा है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि अपील में अंकित तथ्यों को बहस माना जावें। अपीलाधीन आवंटन बाबत् नियमानुसार कोई सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की गई। आवंटन योग्य खाली भूमि की कोई सूची तैयार नहीं की गई। भू आवंटन नियमों व प्रावधानों की पालना नही की है, ना ही आवंटन बाबत् खुले स्थान पर उद्घोषणा चस्पा की है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि आवंटन के बाद अप्रार्थीगण गैर खातेदार/खातेदार है। राजस्व रिकार्ड नहीं कि इनका कब्जा रहा हो, आवंटन के समय से कब्जा है। आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का कब्जा रहा है। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध साबित होता हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 11.12.2004 को अप्रार्थीगण 1 ता 5 के पिता व 6 के पति खैरू जाति जाटव निवासी बैटा ग्राम बैटा तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं. 108 रकबा 9.07 बीघा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:52 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.07.26 15:28:52 IST
Reason: SelfAttested